



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092020-222097
CG-DL-E-29092020-222097

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3012]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 29, 2020/आश्विन 7, 1942

No. 3012]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 29, 2020/ASVINA 7, 1942

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2020

का.आ. 3374(अ).—केन्द्रीय सरकार, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 1 अक्तूबर, 2020 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :-

क्र. सं.	धारा
1.	धारा 13 ;
2.	धारा 33.

[फा. सं. 3/7/2020-ईएम]

आनंद मोहन बजाज, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2020

S.O. 3374(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019), the Central Government hereby appoints the 1st of October, 2020 as the date on which the following provisions of the said Act shall come into force, namely:—

S. No.	Sections
1.	Section 13;
2.	Section 33.

[F. No. 3/7/2020-EM]

ANAND MOHAN BAJAJ, Addl. Secy.